भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 99

01.12.2025 को उत्तर के लिए

नदियों, झीलों और समुद्रतटीय जल में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति

99. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय नदियों, झीलों और समुद्रतटीय जल में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति पर अध्ययन किए गए हैं;

(ख) जलीय जीवों में माइक्रोप्लास्टिक कितना एकत्र हुआ है और इसका पारिस्थितिकी तथा स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) एकल-उपयोग प्लास्टिक, सिंथेटिक वस्त्र और कॉस्मेटिक माइक्रोबीड्स जैसे स्रोतों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और वैज्ञानिक संस्थानों के समन्वय से माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी और शमन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने की कोई योजना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों से नदी और तटीय क्षेत्रों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का पता चला है। इधर-उधर फैले हुए और अप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट जिसमें माइक्रोप्लास्टिक भी शामिल है, के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 1 जुलाई, 2022 से अभिज्ञात किए गए एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जिनकी उपयोगिता कम और अपशिष्ट फैलाने की संभावना अधिक है, को प्रतिबंधित कर दिया है। एसपीसीबी / पीसीसी द्वारा दी गई जानकारी और एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जुलाई 2022 से अब तक कुल 8,61,740 निरीक्षण किए गए हैं और 1985 टन प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुएं ज़ब्त की गई हैं और कुल 19.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देशों को भी अधिसूचित किया है। दिशानिर्देशों में ईपीआर, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रित प्लास्टिक

सामग्री के उपयोग पर अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दिशानिर्देशों में संधारणीय प्लास्टिक पैकेजिंग को अपनाने और प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करने का प्रावधान है। वर्ष 2022 में प्लास्टिक पैकेजिंग पर ईपीआर दिशानिर्देश लागू होने के बाद, 165 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया गया है।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन समेत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और नमामि गंगे कार्यक्रम जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से नदी प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रही है। विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अपरिष्कृत मल का अवरोधन और अपवर्तन सीवरेज प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना शामिल है। ये उपाय इधर-उधर फैले हुए और अप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के कारण उत्पन्न माइक्रोप्लास्टिक को भी कम करेंगे।

इसके अलावा, भारतीय मानक आईएस 4707 (भाग 2): 2017, कॉस्मेटिक कच्चे माल और सहायक पदार्थों का वर्गीकरण (चौथा संशोधन) के संशोधन संख्या 2 के अनुसार, जिसे नवंबर 2017 में अधिसूचित किया गया था, अनुलग्नक क में क्रमांक 1373 पर यह उल्लेख किया गया है कि प्लास्टिक माइक्रोबीड्स: 5 मिमी या उससे छोटे, पानी में अघुलनशील, ठोस प्लास्टिक कण जो रिंस-ऑफ पर्सनल केयर उत्पादों में एक्सफोलिएट या साफ़ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, प्रसाधन सामग्री में उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। भारतीय मानक आईएस: 4707 भाग 2 के अनुलग्नक क में विनिर्दष्ट कच्चे माल, जिन्हें समय-समय पर बदला गया है, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत जारी प्रसाधन सामग्री नियम के अनुसार, प्रसाधन सामग्री में नहीं मिलाया जाएगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 जून 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो' के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले शुरू की गई एक महीने की लंबी पूर्व-अभियान कार्यकलापों के हिस्से के रूप में, लगभग 69,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें देश भर में लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया। दिनांक 5 जून से दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान (एनपीपीआरसी) भी शुरू किया गया। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के कार्यकलाप शामिल थे। इन कार्यकलापों में विशेष अभियान 5.0 के दौरान, विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकल-उपयोग प्लास्टिक के पारिस्थितिक विकल्पों पर एक हैकथॉन भी आयोजित किया गया था।

****